कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा
ब्लॉक-सी-30 द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रवती भवन,
नया,रायपुर(छ.ग.)

कमांक / 91 / आउशि / समन्वय / 2015 रायपुर,दिनांक 10/03/2015

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त अग्रणी................
महाविद्यालय (छ.ग.) ।

विषय :- **प्रदेश के अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यो की बैठक दिनांक 09.01.2015 का कार्यवाही विवरण का प्रेषण ।**

---00---

उपर्युक्त विषयान्तर्गत दिनांक 09.01.2015 को आयोजित अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यो की बैठक का कार्यवाही विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है। कृपया कार्यवाही विवरण की छायाप्रति अपने अधीनस्थ शासकीय महाविद्यालयों को उपलब्ध कराते हुए बैठक में लिये गये निर्णयों का पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करें।

(आयुक्त उच्च शिक्षा से अनुमोदित)

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

(डॉ. किरण गजपाल)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

दिनांक 09.01.2015 को अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों की आयोजित बैठक का

कार्यवाही विवरण

प्रदेश के सभी जिलों के अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों की एक बैठक दिनांक 09.01.2015 को प्रात: 11.00 बजे महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर में माननीय श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, मंत्री, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारी–गण एवं अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्यों की सूची परिशिष्ट– "अ" पर है। सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा माननीय मंत्रीजी, बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों का स्वागत करते हुए नव वर्ष की शुभ कामनाएं देकर बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

2/ सर्वप्रथम माननीय मंत्रीजी के द्वारा महाविद्यालयों में चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी प्राप्त की गई एवं बैठक को संबोधित करते हुए बताया गया कि वर्तमान में आगामी वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु बजट तैयार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में विभिन्न महाविद्यालयों में जो भी मांगें हैं उसे संचालनालय को दे दिया जाए, जिससे इन मांगों को बजट में सम्मिलित करने के लिए प्रयास किया जा सकेगा।

3/ माननीय मंत्रीजी के द्वारा निर्देशित किया गया कि अधिकारियों/कर्मचारियों की लंबित समस्याओं एवं मांगों का निराकरण समय सीमा में हो, जिससे अनावश्यक रूप से उन्हें मंत्रालय/संचालनालय में न भटकना पड़े। इस संबंध में सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा बताया गया कि इस हेतु एक वेब पोर्टल का निर्माण भी कराया जा रहा है एवं इसके माध्यम से ऑन–लाइन समस्याओं के निराकरण की दिशा में कारगर पहल की जाएगी।

4/ माननीय मंत्रीजी के द्वारा सभी से आग्रह किया गया कि प्रदेश के सभी अग्रणी महाविद्यालयों को प्रथम चरण में वाईफाई सेवायुक्त किया जाए। इसके साथ आने वाले समय में ई–लर्निंग, ई–लाइब्रेरी एवं स्मार्ट क्लास रूम में सबका फोकस होना चाहिए।

5/ बैठक में चर्चा के दौरान बताया गया कि राजनांदगांव जिले के शासकीय महाविद्यालय, रामाटोला में छात्र संख्या अत्यंत कम है। रामाटोला के छात्र–छात्राओं को पढ़ने की अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। अतः रामाटोला में शासकीय महाविद्यालय चलाया जाना मितव्ययिता की दृष्टि से उचित नहीं है। पूर्व में इसी प्रकार की समस्या सरगुजा जिले के ओड़गी महाविद्यालय के संबंध में आई थी। अतः माननीय मंत्रीजी के द्वारा निर्देशित किया गया कि रामाटोला एवं ओड़गी महाविद्यालय में अगले वर्ष प्रवेश न दिया जाए एवं इन दोनों महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अन्यत्र पदस्थ करने हेतु विभाग कार्यवाही करे। महाविद्यालय में

अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की काउंसलिंग कर अन्य महाविद्यालयों में स्थानांतरित करने की कार्यवाही भी की जाए। (कार्यवाही– JD(C) एवं DD(T) द्वारा)

6/ विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ली गई विभागीय समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया था कि ऐसे महाविद्यालय जहां छात्र संख्या कम है, उनका युक्तियुक्तकरण किया जाए। इस संबंध में संयुक्त संचालक (श्रीमती गजपाल) के द्वारा लगभग 45 महाविद्यालयों की सूची बैठक में उपलब्ध कराई गई, जिसमें अनेक विषयों में छात्रों की संख्या अत्यंत नगण्य है। माननीय मंत्रीजी के द्वारा निर्देशित किया गया कि इन सभी महाविद्यालयों में चूंकि छात्र नहीं हैं, अतः इन विषयों को बंद करने के संबंध में विभाग परीक्षण कर प्रशासकीय अनुमोदन हेतु नस्ती प्रस्तुत करे।

7/ विगत अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक दिनांक 6.8.2014 के पालन प्रतिवेदन के संबंध में माननीय मंत्रीजी को अवगत कराया गया एवं विभाग द्वारा की गई कार्यवाही से संतोष व्यक्त किया गया ।

इसके अतिरिक्त बारी–बारी से सभी अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों से माननीय मंत्रीजी के द्वारा उनके जिले की समस्याओं के संबंध में पूछा गया एवं सभी के द्वारा अपने–अपने जिले के बारे में जानकारी दी गई। निर्देशित किया गया कि अपने जिले की जो भी समस्याएं हैं उसे लिखकर आज संचालनालय के अधिकारियों को दे दें।

माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के द्वारा यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्वीकृत 05 नये मॉडल कॉलेज को आगामी सत्र से प्रारंभ किया जाना है। अतः इस हेतु तैयारियां अभी से प्रारंभ करें। दूरस्थ क्षेत्रों में उच्च शिक्षा से वंचित छात्र–छात्राओं को महाविद्यालय में प्रवेश देने के लिए एवं जी.ई.आर. बढ़ाने के लिए प्रयास करने के निर्देश दिये गये।

इसके पश्चात माननीय मंत्रीजी के द्वारा अत्यावश्यक कार्यवश प्रस्थान किया गया एवं एजेण्डा–वार बैठक में चर्चा सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा की गई, जिसका विवरण निम्नानुसार हैं:–

1/ अग्रणी महाविद्यालयों के कैम्पस को वाई–फाई करना।

सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी विश्वविद्यालय एवं अग्रणी महाविद्यालय के शैक्षणिक परिसर, प्रशासकीय भवन , ग्रन्थालय, हॉस्टल को वाईफाई किया जाना

/ वाईफाई करने के लिए जिले में स्थित एन.आई.सी.(NIC)कार्यालय की मदद ली जा सकती है। गईफाई योजना के लिए बजट की व्यवस्था जनभागीदारी मद से भी की जा सकती है।

(कार्यवाही– JD(C) एवं DD(T) द्वारा)

2/ **अग्रणी महाविद्यालयों में ई–लर्निंग एवं स्मार्ट क्लास रूम के संबंध में**

सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी अग्रणी महाविद्यालय में कम से कम एक स्मार्ट क्लास रूम होना चाहिए। इस हेतु जिन महाविद्यालय को चिप्स से धनराशि वापस प्राप्त हुई है वे स्मार्ट क्लास रूम बनाने हेतु इसका उपयोग कर सकते हैं। ई–लर्निंग हेतु कुल सचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया कि स्नातकोत्तर स्तर पर लगभग 20 विषयों का चयन कर शिक्षकों के अच्छे व्याख्यान को रिकार्ड करें एवं दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में जहां शिक्षकों की कमी है एवं अतिथि शिक्षक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, वहां पर सीडी/पेनड्राइव व्याख्यान उपलब्ध करावें ताकि शिक्षकों की कमी के कारण पढाई प्रभावित न हो। स्नातक स्तर पर शिक्षकों का चयन कर व्याख्यान रिकार्ड कर महाविद्यालयों को उपलब्ध कराने हेतु राज्य स्तरीय गुणवत्ता प्रकोष्ठ के संयुक्त संचालक को दायित्व दिया गया ।

(कार्यवाही– JD(C) द्वारा)

3/ **सभी शासकीय महाविद्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी एस.क्यू.ए.सी. की वेबसाइट में अपलोड करने बावत।**

समस्त प्राचार्यों को प्रपत्र उपलब्ध कराया गया तथा निर्देशित किया गया कि निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भरकर गुणवत्ता प्रकोष्ठ की वेबसाइट में अपलोड करें। राज्य गुणवत्ता प्रकोष्ठ के पोर्टल में विभाग की समस्त जानकारी डालने की तैयारी की जा रही है। उक्त वेब पोर्टल पर विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की जो भी समस्याएं हैं, उसे भी ऑन–लाइन प्राचार्यों के द्वारा डाला जाए, जिससे निराकरण में सहायता होगी। उक्त पोर्टल पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण भी डाला जाए।

(कार्यवाही– JD(C) एवं DD(T) द्वारा)

4/ **महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखने के संबंध में**

निर्देशित किया गया कि सभी प्राचार्य महाविद्यालय परिसर , शौचालय एवं छात्रावास की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देंगे। जिला स्तर पर सभी महाविद्यालयों की बाहरी दीवाल हेतु एक रंग का चयन किया जा सकता है। रंग की एक रूपता हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर से संपर्क करें।

पूर्व में माननीय प्रधान मंत्री के आव्हान पर सभी महाविद्यालयों में एन.सी.सी. एवं एन.एस.एस. के अन्तर्गत सराहनीय कार्य किया गया है। निर्देशित किया गया कि इस अभियान को निरन्तर जारी रखा जाए।

5/ शैक्षणिक सत्र 2014–15 में नियुक्ति अतिथि शिक्षकों की जानकारी

अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्यों द्वारा अतिथि शिक्षक को वार्षिक परीक्षा तक रखे जाने हेतु निवेदन किया गया। सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किए जाने का निर्देश दिया गया एवं प्राप्त मांग पर वित्त विभाग से परामर्श करने का भी आश्वासन दिया गया।

6/ स्थानांतरण आदेश के परिपालन के संबंध में

बैठक में अवगत कराया गया कि बालौद में मुख्यलिपिक एवं शास. जमना प्रसाद वर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर में डॉ. संजय तिवारी, सहायक प्राध्यापक को स्थानांतरण पश्चात कार्यमुक्त नहीं किया गया है। सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा निर्देशित किया गया कि शासन द्वारा होने वाले आदेशों का तत्काल पालन किया जाए एवं स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त कर जानकारी उच्च शिक्षा संचालनालय एवं उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को दी जावे। उपरोक्त दोनों प्रकरणों के अतिरिक्त यदि अन्य किसी महाविद्यालय में शासन के स्थानांतरण आदेशों का पालन नहीं किए जाने की जानकारी प्राप्त होगी तो संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के उपर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

7/ न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी

सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा निर्देशित किया गया कि न्यायालयीन प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु शासन अथवा संचालनालय से अभिलेख प्राप्त करने हेतु पत्र व्यवहार न करें, वरन् सीधे संपर्क कर अभिलेख प्राप्त किया जाए, ताकि अनावश्यक विलम्ब की स्थति निर्मित न हो। निम्नलिखित प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये :–

1. श्री सत्यनारायण सिंह
2. श्री लवकुमार लश्कर
3. श्री बद्रीप्रसाद यादव

इसके अतिरिक्त और भी जो प्रकरण हैं जिनमें जवाबदावा प्रस्तुत किया जाना है या न्यायालयीन आदेशों का पालन किया जाना है। ऐसे समस्त प्रकरण तत्काल अपर संचालक (श्री सुब्रामनियन) एवं उप संचालक (श्री सेनगुप्ता) के ध्यान में लाएं। लापरवाही की स्थिति में संबंधित प्राचार्य की जिम्मेदारी होगी।

एजेण्डा बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्नानुसार निर्देश दिये गये :–

- पी.जी. महाविद्यालय, महासमुंद द्वारा बताया गया कि उनके महाविद्यालय में अधिकांश छात्राओं द्वारा प्रवेश लिया जाता है, जबकि कन्या महाविद्यालय में छात्राओं के प्रवेश न लेने के कारण सीट खाली रहती हैं। निर्देशित किया गया कि आगामी सत्र से छात्राओं को पहले कन्या महाविद्यालय में प्रवेश दिया जाए, उसके उपरान्त ही अन्य महाविद्यालय में प्रवेश दिया जाए।
- सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति गठित नहीं है, वे अपने जिले के कलेक्टर से मिल कर आगामी 15 दिनों में जनभागीदारी समिति का गठन करें। सभी अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य आगामी 15 दिनों में इस आशय का प्रमाण–पत्र संचालनालय भेजें कि, उनके जिले के सभी महाविद्यालयों में जनभागीदारी का गठन किया गया है। इस निर्देश का उल्लंघन पाए जाने पर अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य की जवाबदारी तय की जाएगी।
- सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा निर्देशित किया गया कि अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्य जिले के ऐसे महाविद्यालय जिनमें विभिन्न विषयों में छात्र संख्या कम है एवं स्वीकृत सेटअप में शिक्षकों की संख्या अधिक है, ऐसे विषयों को बंद करने एवं उन विषयों को अन्य महाविद्यालय में स्थानांतरित करने बावत एक कार्य योजना तैयार करें एवं 15 दिवस के भीतर प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करें। इससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी तथा महाविद्यालय में पर्याप्त शिक्षक भी उपलब्ध होंगे।
- ऐसे महाविद्यालय जहां महालेखाकार का ऑडिट नहीं हुआ हैं, वहां वार्षिक ऑडिट शीघ्र कराये जाने हेतु महालेखाकार को पत्र लिखा जाए। अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य की जिम्मेदारी है कि अपने एवं जिले के महाविद्यालयों का यथा समय आंकड़ों का मिलान करायें।
- सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा बताया गया कि सावित्री जिंदल इंस्टीट्यूट आफ नेचरोपेथी, बैंगलोर, महाविद्यालयों में **'सावित्री जिंदल कन्या छात्रावास'** बनाने को तैयार हैं। इस संबंध में उनके द्वारा मुख्य सचिव महोदय को प्रस्ताव दिया गया है। अतः महाविद्यालय के प्राचार्य आवश्यकतानुसार छात्रावास बनाये जाने हेतु प्रस्ताव बनाकर प्रेषित करें जिससे शासन स्तर से इनसे पत्राचार किया जा सके।
- सभी अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की भरती के संबंध में भी जानकारी ली गई। उनके द्वारा बताया गया कि अभी तक जो प्रकिया अपनाई गई है, इसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आई है एवं बिना किसी शिकायत के पारदर्शी ढंग से भरती का कार्य किया गया है। उनके द्वारा इस संबंध में सुझाव दिया गया कि उत्तर पुस्तिका में भी क्रम संख्या अंकित किया जाए। इस सुझाव का पालन करने के निर्देश अधिकारियों को दिये गये।
- परीक्षा परिणाम का विश्लेषण पिछली बैठक में किया गया था एवं इस बैठक में पुनः इस संबंध में चर्चा की गई। स्नातक अंतिम वर्ष तक पहुंचने वाले छात्रों की संख्या अधिकांष महाविद्यालयों में 25 से 30 प्रतिशत है, जो चिंताजनक है। सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया गया कि परीक्षा के पूर्व प्री–विश्वविद्यालय परीक्षा अनिवार्य रूप से करवाएं, जिससे कि बेहतर परीक्षा परिणाम प्राप्त हों। इसके साथ ही पूरा कोर्स हुआ है या नहीं, इसकी समीक्षा कर पठन–पाठन का कार्य समय पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।